

झारखण्ड सरकार
परिवहन आयुक्त कार्यालय
एफ० एफ० पी० भवन, धुर्वा, राँची।

पत्रांक: परि०आ०(वि०)-381/2017-.....173...../ राँची, दिनांक:-...19.02.2021

प्रेषित,

श्री अशोक कुमार सिंह,
पिता-स्व० रामनारायण सिंह,
दुर्गा गैरेज, हरिहरगंज रोड, डाल्टनगंज,
जिला-पलामू।

विषय: वाहन संख्या- JH03K-9786 के पक्ष में मार्ग डाल्टनगंज से सासाराम के लिए
निर्गत स्थायी परमिट संख्या- P.St.S.- 77/2017 के प्रत्यर्पण के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके ऑन-लाईन आवेदन दिनांक
21.01.2021 के आलोक में आपके वाहन संख्या-JH03K-9786 के पक्ष में मार्ग डाल्टनगंज
से सासाराम पर इस प्राधिकार द्वारा निर्गत स्थायी परमिट संख्या-P.St.S.-77/2017 का
दिनांक-21.01.2021 के प्रभाव से प्रत्यर्पण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

परिवहन आयुक्त के आदेश से।

विश्वासभाजन

संयुक्त परिवहन आयुक्त,
झारखण्ड, राँची।

2

झारखण्ड सरकार
परिवहन आयुक्त कार्यालय
एफ० एफ० पी० भवन, धुर्वा, राँची।

पत्रांक: परि०आ०(वि०)-381/2017-...../ राँची, दिनांक:-.....

प्रेषित,

श्री अशोक कुमार सिंह,
पिता-स्व० रामनारायण सिंह,
दुर्गा गैरेज, हरिहरगंज रोड, डाल्टनगंज,
जिला-पलामू।

विषय: वाहन संख्या- JH03K-9786 के पक्ष में मार्ग डाल्टनगंज से सासाराम के लिए
निर्गत स्थायी परमिट संख्या- P.St.S.- 77/2017 के प्रत्यर्पण के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके ऑन-लाईन आवेदन दिनांक
21.01.2021 के आलोक में आपके वाहन संख्या-JH03K-9786 के पक्ष में मार्ग डाल्टनगंज
से सासाराम पर इस प्राधिकार द्वारा निर्गत स्थायी परमिट संख्या-P.St.S.-77/2017 का
दिनांक-21.01.2021 के प्रभाव से प्रत्यर्पण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

परिवहन आयुक्त के आदेश से।

विश्वासभाजन

ह०/-

संयुक्त परिवहन आयुक्त,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक- परि०आ०(वि०)-381/2017-.....143...../ राँची, दिनांक:- 19.02.2021

प्रतिलिपि:- सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं
आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


संयुक्त परिवहन आयुक्त,
झारखण्ड, राँची।